01/6/26

पत्रावली वास्ते लिखित पेश हुई। वकील प्रार्थी
उक्त प्रा.पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत लिखित अलग से विचारार्थ जारी शामिल
किया गया। रिपोर्ट से बन्द हो।

लिखित सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/610

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– भरत जय प्रकाश मीना (आई. ए. एस.)

प्रकरण सं.– 262/2024 GCMS:- 2024/610 दायरा दिनाकः– 04.10.2024

1 सन्दीप } पुत्रगण श्री चेलाराम जाति अरोड़ा साकिन वार्ड न. 41
2 सचिन } सूरतगढ तहसील सूरतगढ ज़िला श्रीगगानगर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1 चेलाराम पुत्र श्री अमरचन्द जाति आरोड़ा साकिन वार्ड न. 41 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2 श्यामसुन्दर पुत्र चेलाराम जाति आरोड़ा साकिन वार्ड न. 41 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
3 नवजोतसिह बेंदी पुत्र श्री बलवन्तसिह जाति बेदी साकिन वार्ड न. 41 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
4 सरंपच ग्राम पंचायत माणकसर तहसील सूरतगढ़।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी
5 राजस्थान सरकार पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 01.06.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्राथी न. 1 के नाम से रोही मानकसर की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता न 9/5 के खसरा न. 248 में 0.190 हैक बारानी खातेदारी खातेदारी भुमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी न. 1 व 2 ने प्रार्थीगण के दादा के जीवनकाल में ही अप्रार्थी न. 1 के नाम से सयुंक्त हिन्दू परिवार में रहते हुए प्रार्थीगण के परिवार के सयुंक्त अविभाजित परिवार की आय से अप्रार्थी न. 1 के नाम से दिनाक 27.03.1979 को रोही मानकसर के खसरा न. 248 मे से 0.15 हैक यानि 15 बिस्वा रकबा में से 1/2 हिस्सा प्रतिफल राशि 2,000/– रूप्ये मे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था व शेष 1/2 हिस्सा कैलाश नारायण वल्द हनुमान पाडिया नें खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था व इसके लगभग दो वर्ष बाद कैलाश नारायण वल्द हनुमान पाडिया से उक्त 0.15 बीघा रकबा में से 1/2 हिस्सा का रकबा भी प्रार्थीगण एव अप्रार्थी न. 1 व 2 के परिवार ने अप्रार्थी न. 1 के नाम से 2,000/– रूप्ये प्रतिफल देकर खरीद

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्याः– 262/2024
सन्दीप आदि बनाम चेलाराम आदि

लिया था। उक्त रकबा पैतृक आय से खरीदा हुआ है जिसमें हम प्रार्थीगण एव अप्रार्थी न. 2 का अप्रार्थी न. 1 के जीवनकाल मे 1/4, 1/4 हिस्सा बनता है। उक्त रकबा मानकसर चौराहा से एनएच 62 पर पश्चिमी पासा पर स्थित व सयुक्त परिवार की आय से इस रकबा में करीब 140 फुट लम्बा उतर से दक्षिण व 40 फुट चौडा चारदीवारी बनाकर एक कमरा व शौचालय बनाये हुयें है। जिसको अप्रार्थी न. 1 प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को बैचान करने पर उतारू है। अगर अप्रार्थी न. 1 अपने मकसद मे कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई पैसे रूप्यो से होनी बडी मुश्किल है। इसलिये अप्रार्थीगण को दावा के निर्णय तक पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी न. 1 के नाम की रोही मानकसर के खसरा न. 248 मे 0.190 हैक बारानी रकबा जिसमे 140 गुणा 40 वर्गफुट मे चारदीवारी मय कमरा बना हुआ है जो कि मानकसर चौराहा से एनएच 15/62 से चिपती पश्चिम कि तरफ से है के निर्माण व कब्जा मे तथा उक्त खातेंदारी रकबा मे अप्रार्थी न. 3 ता 5 किसी तरह की दखलदाजी ना तो स्वंय करे व ना ही किसी अन्य से करवाये तथा अप्रार्थी न.1 प्रार्थी एव अप्रार्थी न. 2 के अलावा अन्य किसी को कृषि भूमि का हस्तानातरंण नही करे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनकर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में मानकर दिनांक 04.10.2024 को अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के खिलाफ जारी की गई कि वो आगामी पेशी तक पाबन्ध किया जाता है कि वे अप्रार्थी न. 1 के नाम की रोही मानकसर के खसरा न. 248 मे 0.190 हैक बारानी रकबा जिसमे 140 गुणा 40 वर्गफुट मे चारदीवारी मय कमरा बना हुआ है जो कि मानकसर चौराहा से एनएच 15/62 से चिपती पश्चिम कि तरफ से है के निर्माण व कब्जा मे तथा उक्त खातेंदारी रकबा मे अप्रार्थी न. 3 ता 5 किसी तरह की दखलदाजी ना तो स्वंय करे व ना ही किसी अन्य से करवाये तथा अप्रार्थी न.1 प्रार्थी एव अप्रार्थी न. 2 के अलावा अन्य किसी को कृषि भूमि का हस्तानातरंण नही करे।

अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड /साधारण डाक से तलब किया परन्तु अप्रार्थी न. 1 ता 3 बावजुद सुचना अनुपस्थित रहे व उनके खिलाफ दिनांक 24.06.2025 को एक तरफा कार्यवाही की गई व अप्रार्थी न. 4 का नोटिस लोटकर आने पुन्य जरिये रजिस्टर्ड /साधारण डाक से तलब किया परन्तु अप्रार्थी न. 4 बावजुद सुचना अनुपस्थित रहे व उनके खिलाफ दिनांक 05.01.2026 को एक तरफा कार्यवाही की गई ।

वकील प्रार्थी एक तरफ बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तूत रिकार्ड अनूसार जैर प्रकरण रकबा जो रोही मानकसर के खसरा न. 248 मे 0.190 हैक बारानी रकबा जिसमे 140 गुणा 40 वर्गफुट मे चारदीवारी मय कमरा बना हुआ है जो कि मानकसर चौराहा से एनएच 15/62 से

लगातार पेज 3.... पर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

चिपती पश्चिम कि तरफ स्थित है जो प्रार्थी/वादी के परिवार का सहदायी रकबा है तथा इस रकबा मे प्रार्थी को हक मिलेगा या नही मिलेगा यह निर्णय तो दावा के अन्तिम निर्णय मे तय होगा परन्तु दावा के निर्णय से पूर्व ही उक्त रकबा रहन बेचान हस्तानातरण हो गया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान हो सकता है या अप्रार्थीगण 3 ता 5 या अन्य प्रार्थीगण के रकबा मे दखल कर दी तो प्रार्थी के दावा का मकसद ही समाप्त हो जावेगा । प्रकरण मे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित हो रहा है तथा ना पुरा होने वाला नुकसान प्रार्थी को है इसलिये दावा के निर्णय तक पूर्व मे जारी स्थगन स्थायी करना उचित समझते है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 04.10.2024 को प्रार्थी के मूल दावा के निर्णय तक स्थायी किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को उक्त अनवानी वाद पत्र के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे अप्रार्थी न. 1 के नाम की रोही मानकसर के खसरा न. 248 मे 0.190 हैक बारानी खातेदारी रकबा जिसमे 140 गुणा 40 वर्गफुट मे चारदीवारी मय कमरा बना हुआ है जो कि मानकसर चौराहा से एनएच 15/62 से चिपती पश्चिम कि तरफ है, प्रार्थीगण एव अप्रार्थी न 1 व 2 के कब्जा व निमार्ण मे बाधा व दखलदाजी ना तो स्वंय करे व ना ही किसी अन्य से करवाये । अप्रार्थी न. 1, प्रार्थीगण एव अप्रार्थी न. 2 के अलावा अन्य किसी को कृषि भूमि का हस्तानातरंण नही करे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीना)

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़ (राज.)